संख्या-12-1281/86-2014-8(204)/95

प्रेषक,

डॉ0 गुरदीप सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0,
लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग **लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 2014**

विषय- उत्तर प्रदेश खनिज नीति, 1998 के अन्तर्गत खनिज विकास कार्यो को त्वरित एवं प्रभावी गति प्रदान करने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 में स्थापित सुविधाओं को निजी उद्यमियों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में अब तक किये गये खनिज अन्वेषण कार्यो से खनिज के अनेक भण्डार खोजे गये हैं जिनका समुचित विकास किया जाना आवश्यक है। खनिजयुक्त क्षेत्रों को विकसित कर उनका समुचित उपयोग करने तथा नये उद्योगों के स्थापित होने से जहाँ एक ओर पिछड़े क्षेत्रों का विकास होगा वहीं दूसरी ओर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। खनिज के विकास का कार्य मुख्यत: निजी उद्यमियों द्वारा निष्पादित किया जाता है जिन्हें आवश्यकतानुसार सुविधायें उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। यह भी अनुभव किया गया है कि अधिकतर उद्यमियों को खनिज के दोहन का व्यापक अनुभाव प्राप्त नहीं है एवं ऐसे उद्यमी भी हैं जो खनिज क्षेत्र में प्रवेश हेतु इच्छुक है किन्तु खनिज क्षेत्रों एवं खनिज के उद्योगों/प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में भली-भांति अवगत नहीं हैं। अत: उत्तर प्रदेश खनिज नीति, 1998 के अन्तर्गत खनिज विकास कार्यो को त्वरित एवं प्रभावी गति प्रदान करने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 में स्थापित सुविधाओं को निजी उद्यमियों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या-381/77-5-99-8(204)/95टी0सी0-6, दिनांक 03-02-1999 तथा शासनादेश संख्या-2931-टी0/18-12-90-3(16)/90, दिनांक 30-06-1990 को संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के इच्छुक उद्यमियों को निम्नलिखित सूचनायें एंव मार्ग-दर्शन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) खनिज विकास की योजना बनाने हेतु प्रदेश में उपलब्ध खनिज सम्पदा, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खनिज मानचित्रण के साथ उपलब्ध खनिज भण्डार, उनके सम्भावित उपयोग तथा उनके परिहार प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया, नियम, आदि के सम्बन्ध में उद्यमियों को जानकारी प्रदान की जायेगी।

(2) विभिन्न क्षेत्रों एवं खनिजों से सम्बन्धित सूचनाओं का सामान्य लोगों के उपयोगार्थ समय-समय पर प्रकाशन किया जायेगा।

(3) छोटे उद्यमी जो स्वयं तकनीकी स्टाफ नियुक्त करने में सक्षम नहीं हैं, को खानों के वैज्ञानिक विकास, खनन की विधियाँ, मशीनों, पर्यावरण प्रबन्धन, नियमों, तकनीकी एवं आर्थिक सम्भावनाओं, खनिजों एवं खनिज मलबे के उचित उपयोग आदि के सम्बन्ध में मार्ग-दर्शन प्रदान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) उद्यमियों को खनिजों से सम्बन्धित जानकारी के साथ खनिजों को विकसित करने हेतु तकनीकी परामर्श तथा निदेशालय में उपलब्ध परीक्षण एंव जनशक्ति की सुविधायें निर्धारित दरों पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उद्यमियों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को कार्यान्वित कराने के प्रयोजन से उनके अनुरोध पर प्रस्तावित अन्वेषण कार्यों को निर्धारित दरों एवं शर्तो पर निदेशालय द्वारा कराया जायेगा।

(6) निदेशालय के तकनीकी कार्मिकों द्वारा अपनी विशिष्टता के कार्यक्षेत्र में परामर्श की सुविधा प्रदान की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त सुविधाये/सेवायें प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत् दरें निर्धारित की जाती हैं :-

क्र0	सेवायें		निर्धारित दर
1	**भूवैज्ञानिक सेवायें**		
	(1)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:50,000)	रू0 37,900.00 प्रति वर्ग किमी0
	(2)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:25,000)	रू0 75,800.00 प्रति वर्ग किमी0
	(3)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:10,000)	रू0 37,900.00 प्रति हे0
	(4)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:5000)	रू0 75,800.00 प्रति हे0
	(5)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:2000)	रू0 94,750.00 प्रति हे0
	(6)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:1000)	रू0 94,750.00 प्रति हे0
	(7)	भूवैज्ञानिक मानचित्रण (पैमाना 1:500)	रू0 1,89,500.00 प्रति हे0
2	**भूरसायनिक नमूनें**		
	(1)	नदी/सहायक नदी/नाले (पैन कन्सनट्रेट)	रू0 2,000.00 प्रति नमूना
	(2)	नदी/सहायक नदी/नालों से चट्टाने/मृदा नमूने परीक्षण हेतु ग्रिड पर एकत्र करना (न्यूनतम 50 नमूने)	रू0 379.00 प्रति नमूना
	(3)	बोर होल लॉगिंग एवं सैम्पलिंग प्रति मीटर	रू0 5,000.00 प्रति मीटर
3	**खनिजीय एवं शैल अध्ययन**		
	(1)	थिन सेक्शन तैयार करना	रू0 1,895.00 प्रति नमूना
	(2)	तैयार थिन सेक्शन का अध्ययन	रू0 1,895.00 प्रति नमूना
	(3)	पॉलिश सेक्शन (अपरादर्शन खनिजों) तैयार करना	रू0 1,895.00 प्रति नमूना
	(4)	तैयार पॉलिश सेक्शन (अपरादर्शन खनिजों) का अध्ययन	रू0 1,895.00 प्रति नमूना
	(5)	खनिज ग्रेन साइज का अध्ययन	रू0 1,895.00 प्रति नमूना
	(6)	थिन सेक्शन/ पॉलिश सेक्शन का फोटो माइक्रोग्राफ	रू0 379.00 प्रति नमूना
	(7)	एक्स. आर. एफ. अध्ययन (सामान्य खनिजों की पहचान हेतु)	रू0 3,790.00 प्रति नमूना
4	**फोटोजियोलॉजी प्रयोगशाला**		
	(1)	मेटल एनालाइजर की सहायता से किसी भी	रू0 1,000.00 प्रति रीडिंग

http://shasanadesh.up.nic.in

		एलॉय (Alloy) एवं मृदा में उपस्थित धात्विक व अधात्विक अवयवों की जॉच	
	(2)	एरियल फोटोग्राफ की सहायता से 1:50,000/ 1:25,000 के पैमाने पर मानचित्रण, स्थलीय निरीक्षण के साथ (100 वर्ग किमी0 तक)	रू0 82,698.00
	(3)	सेटेलाइट इमेज का विश्लेषण एंव आख्या (1:50,000 के पैमाने पर जियोकोडेड सीन/ सबसीन, क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी0 तक)	रू0 84,582.00
	(4)	सेटेलाइट इमेज (Pan) का विश्लेषण (1:25,000 के पैमाने पर सीन/सबसीन, क्षेत्रफल 100 वर्ग किमी0 तक)	रू0 1,69,164.00
	(5)	डिजिटल टोपोशीट, डिजिटल सेटेलाइट इमेज (Cartoset-1, IRSP-6, Pan), डी.जी.पी.एस. एवं राजस्व मानचित्र को सुपर इम्पोज कर कम्पोजिट मानचित्र तैयार करना(क्षेत्रफल 10 वर्ग किमी0 तक)	रू0 3,05,000.00
5		**मानचित्र सेवायें**	
	(1)	(क) चार या चार से कम मानचित्रों का प्रथम सेट तैयार करने पर जो 0.0929 वर्ग मी0 (1 वर्ग फीट) के अन्तर्गत हो	रू0 2,000.00
		(ख) प्रत्येक अतिरिक्त अमोनिया प्रिन्ट के लिये	रू0 80.00
	(2)	(क) चार या चार से कम मानचित्रों का प्रथम सेट जो 0.0929 वर्ग मी0 (1 वर्ग फीट) से अधिक किन्तु 0.372 वर्ग मी0 (4 वर्ग फीट) के अन्तर्गत हो	रू0 3,000.00
		(ख) प्रत्येक अतिरिक्त अमोनिया प्रिन्ट के लिये	रू0 120.00
	(3)	(क) चार या चार से कम मानचित्रों का प्रथम सेट जो 0.372 वर्ग मी0 (4 वर्ग फीट) से अधिक हो	रू0 4,000.00
		(ख) प्रत्येक अतिरिक्त अमोनिया प्रिन्ट के लिये	रू0 200.00
6		**भूभौतिकीय सेवायें (सर्वेक्षण विधियॉ)**	
	(1)	आई0पी0, रजिस्टीविटी, एस0 पी0 व चुम्बकीय विधियॉ संयुक्त (3-12.5 लाइन किमी0)	रू0 12,04,174.00
	(2)	चुम्बकीय विधि (10-30 लाइन किमी0)	रू0 7,04,415.00
	(3)	इलेक्ट्रीकल रजिस्टीविटी (20-80 साऊडिंग्स)	रू0 11,12,932.00
	(4)	एस0 पी0 व चुम्बकीय विधि (10-30 लाइन किमी0)	रू0 10,30,893.00
	(5)	एस0 पी0	रू0 9,21,486.00
	(6)	एस0 पी0 व रजिस्टीविटी कम गहराई (10-30 लाइन किमी0)	रू0 10,34,457.00
	(7)	आई0पी0(डाइपोल-डाइपोल) (5-15लाइन किमी0)	रू0 11,01,533.00

http://shasanadesh.up.nic.in

7	**वेधन सेवायें**			
		वेधन कार्य	**मध्यम से कठोर चट्टान**	**कठोर से अतिकठोर चट्टान**
	(1)	(क) 100 मीटर या कम गहराई तक मैदानी क्षेत्र	रू0 7,580.00 प्रति मी0	रू0 18,950.00 प्रति मी0
		(ख) 100 मीटर या कम गहराई तक पर्वतीय क्षेत्र	रू0 14,213.00 प्रति मी0	रू0 27,667.00 प्रति मी0
	(2)	(क) 100-300 मीटर गहराई तक मैदानी क्षेत्र	रू0 8,338.00 प्रति मी0	रू0 20,845.00 प्रति मी0
		(ख) 100-300 मीटर गहराई तक पर्वतीय क्षेत्र	रू0 15,634.00 प्रति मी0	रू0 31,268.00 प्रति मी0
	(3)	(क) 300-500 मीटर गहराई तक मैदानी क्षेत्र	रू0 10,802.00 प्रति मी0	रू0 27,288.00 प्रति मी0
		(ख) 300-500 मीटर गहराई तक पर्वतीय क्षेत्र	रू0 20,277.00 प्रति मी0	रू0 40,553.00 प्रति मी0
	(4)	500 मीटर से अधिक गहराई तक	वास्तविक व्यय +10 प्रतिशत	वास्तविक व्यय +10 प्रतिशत
8	**रसायनिक सेवायें (रसायनिक विश्लेषण)**			
	(1)	पारम्परिक विधि द्वारा		
		(क) कार्बोनेट चट्टाने :		
		प्रथम अवयव	रू0 1,137.00	
		अन्य प्रति अवयव	रू0 948.00	
		(ख) क्ले एवं सिलिकेट चट्टाने :		
		प्रथम अवयव	रू0 1,516.00	
		अन्य प्रति अवयव	रू0 1,327.00	
		(ग) रॉक फासफेट (मुख्य अवयव)	रू0 1,327.00	
	(2)	स्पक्ट्रोग्राफी विधि से तत्वों की मात्रा का निर्धारण(एटामिक एब्जार्पशन स्पक्ट्रोफोटोमीटर संयन्त्र द्वारा)		
		प्रथम अवयव	रू0 379.00	
		अन्य प्रति अवयव	रू0 190.00	
		स्वर्ण (एम0आई0बी0के0)	रू0 2,843.00	
	(3)	फायर एस्से द्वारा स्वर्ण विश्लेषण	रू0 2,653.00	
	(4)	इमीशन स्पक्ट्रोग्राफ के माध्यम से 32 तत्वों का निर्धारण (नोबल धातुओं को छोड़कर) नोबल धातुओं के साथ	प्रयोगशाला वर्ष 2006 से प्रचलन में नहीं है। अत: विश्लेषण की दरें प्रथक से निर्धारित की जायेंगी।	
	(5)	खनिज परिष्करण (केवल बेंच स्तर का एक परीक्षण)		
		(क) साइजिंग एवं क्लासीफिकेशन	रू0 948.00	
		(ख) गुरूत्व पृथ्कीकरण (क्लासीफायर आदि से)	रू0 1,516.00	
		(ग) फ्लोटेशन (उत्प्लावीकरण)	रू0 758.00	
		(घ) चुम्बकीय पृथकीकरण	रू0 758.00	

http://shasanadesh.up.nic.in

9		**खनन सेवायें**	
	(1)	खनन परियोजना के वित्तीय विश्लेषण	रू0 1,89,500.00
	(2)	निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उत्पादन एवं खनिज की गुणवत्ता बनाये जाने की योजना तैयार करना	वास्ताविक व्यय + 10 प्रतिशत
	(3)	पुरानी खदानों का नई तकनीक लगाकर उनकी रूपता में परिवर्तन लाना एंव उत्पादकता में वृद्वि करना	वास्ताविक व्यय + 10 प्रतिशत
10		**तकनीकी परामर्श हेतु कर्मिकों की सेवायें**	
	(1)	भूवैज्ञानिक/भूरसायनज्ञ/भूभौतिकविद/वेधन अभियन्ता (समूह-क)	रू0 5,685.00 प्रतिदिन
	(2)	सहायक भूवैज्ञानिक/सहायक रसायन/ सहायक भूभौतिकविद/सहायक वेधन अभियन्ता, खान अधिकारी (समूह-ख)	रू0 4,548.00 प्रतिदिन
	(3)	प्राविधिक सहायक/ भूविज्ञान/ रसायन/ भूभौतिकी/वेधक/सर्वेयर/मानचित्रकार/ खान निरीक्षक (समूह-ग)	रू0 3,790.00 प्रतिदिन
11		**ठेके पर कराये गये कार्य**	
	(1)	ठेकेदार की फीस	वास्तविक व्यय
	(2)	निदेशालय की सेवाओं के शुल्क	
		(क) रू0 1.00 लाख तक	ठेकेदार की फीस का 5 प्रतिशत
		(ख) रू0 1.00 लाख से 2.5 लाख तक	रू0 18,950.00
		(ग) रू0 2.5 लाख से अधिक	रू0 18,950.00 + 2 प्रतिशत
	(3)	प्रतिवेदन का मूल्य	
		(क) प्रथम तीन प्रतियाँ	रू0 18,950.00
		(ख) अतिरिक्त प्रति	रू0 5,685.00 प्रत्येक अतिरिक्त प्रति
	(4)	खनिज के गुणों के प्रारम्भिक मूल्यांकन के आधार पर विस्तृत अन्वेषण की योजना तैयार करना (मूल्य सहित)	रू0 94,750.00
	(5)	अन्वेषण आंकड़ों का मूल्यांकन एवं अन्वेषण पर विस्तृत प्रतिवेदन	रू0 1,89,500.00
	(6)	सम्भाविकता (फिजीबिलिटी प्रतिवेदन)	रू0 1,89,500.00
	(7)	पर्यावरण प्रबन्धन योजना (क्षेत्रीय आंकड़े एकत्र करने के व्यय के अतिरिक्त)	रू0 1,89,500.00
	(8)	वित्तीय संस्थाओं के लिये सम्भाविता (प्रतिवेदन) का मूल्यांकन	रू0 1,89,500.00

(1) तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी की सेवाओं की दरें उनके मुख्यालय से क्षेत्र की यात्रा की सम्पूर्ण अवधि के लिये लागू होगी तथा यात्रा में हुए व्यय का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता को करना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उपर्युक्त दरें मार्च, 2015 तक लागू रहेंगी। जब तक दरों का पुनरीक्षण न हो जाये तब तक इन्ही दरों में प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 10 प्रतिशत की वृद्धि लागू होगी।

(3) क्षेत्रीय कार्यों हेतु वाहन उद्यमी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा यदि वह इस हेतु असमर्थ है तथा विभागीय वाहन उपलब्ध है तो वाहन पर हुये वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी सेवा प्राप्तकर्ता की होगी।

(4) क्षेत्रीय कार्यों में झाड़ियाँ साफ कराने, नमूने एकत्र करने, आदि में श्रमिकों पर होने वाला व्यय उपर्युक्त दरों में सम्मिलित नहीं है। यदि उद्यमी द्वारा उक्त श्रमिकों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनके द्वारा श्रमिकों पर वास्तविक व्यय देय होगा।

(5) उपर्युक्त दरों मे ड्रिलिंग यूनिट/मशीनों को स्थल तक पहुँचाने हेतु व्यय सम्मिलित नहीं है तथा वास्तविक व्यय का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता को करना होगा।

(6) उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य सहकार्य, परीक्षण आदि मे होने वाले वास्तविक व्यय को उद्यमी द्वारा अलग से वहन करना होगा।

(7) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 की समस्त प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, किसी अन्वेषण आख्या में यदि नमूनों का परीक्षण भारत सरकार/प्रदेश सरकार की अन्य प्रयोगशालाओं से कराया गया है और उनके आंकड़ों का संकलन अन्वेषण प्रतिवेदन में है तो उसका वास्तविक मूल्य जो निदेशालय द्वारा भुगतान किया गया है, की प्रतिपूर्ति उद्यमी को करनी होगी।

(8) खनिज परिष्करण, परीक्षण आख्या, औद्योगिक गुणवत्ता, बल्क नमूनों की गुणवत्ता का परीक्षण यदि अन्य किसी संस्थान से कराया गया है एवं उपलब्ध प्रतिवेदन को उद्यमी क्रय करना चाहता है तो इस हेतु भुगतान किये गये वास्तविक मूल्य की प्रतिपूर्ति उद्यमी को करनी होगी।

(9) कोयला एवं खान मंत्रालय, भारत सरकार के शासनादेश संख्या- एफ0 सं0 11/29/2002-191, दिनांक 12-09-2002 के अनुरूप :-

(क) प्रारम्भिक अन्वेषण प्रतिवेदन (यू0एन0एफ0सी0 वर्गीकरण-चार) का मूल्य, निर्धारित दरों पर आगणित मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

(ख) विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन (यू0एन0एफ0सी0 वर्गीकरण-तीन) का मूल्य, निर्धारित दरों पर आगणित मूल्य का 30 प्रतिशत देय होगा।

(ग) भूवैज्ञानिक, भूभौतिक के विभिन्न पैमाने पर तैयार मानचित्रों का मूल्य, निर्धारित दरों पर आगणित मूल्य का 30 प्रतिशत देय होगा।

(10) निदेशालय की सेवायें/परामर्श प्राप्त करने हेतु उद्यमी, निदेशक से औपचारिक रूप से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में सेवाओं की प्रकृति, सीमा एवं अनुमानित समय-सारिणी का उल्लेख करेगा। उक्त विवरण के आधार पर निदेशालय द्वारा व्यय भार का अनुमान तैयार किया जायेगा। तत्पश्चात उद्यमी अग्रिम रूप में निदेशालय के पास आगामी तीन माह में व्यय होने वाली धनराशि या भुगतान का 50 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, जमा करेगा। उक्त धनराशि निदेशक के पास प्रदत्त सेवा की सम्पूर्ण अवधि तक जमा रहेगी तथा इसका उपयोग इस सेवाओं के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु किया जायेगा तथा इस खाते का रख-रखाव अलग से रखा जायेगा। उद्यमी से अग्रिम प्राप्त होते ही निदेशक तात्कालिक प्रभाव से कार्य प्रारम्भ कराने की कार्यवाही करेंगे। कार्य प्रारम्भ करने के उपरान्त निष्पादित किये गये कार्यों के आधार पर मासिक बीजक तैयार कर उद्यमियों को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उद्यमियों को

http://shasanadesh.up.nic.in

इनका भुगतान अगले दो सप्ताह मे करना होगा। कार्य की समाप्ति पर प्राप्त अग्रिम को बीजकों के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। शेष धनराशि सम्बन्धित उद्यमी को वापस कर दी जायेगी। परीक्षण कार्यों एवं ठेके पर कराये जाने वाले अन्य कार्यों हेतु सम्पूर्ण धनराशि उद्यमियों द्वारा अग्रिम के रूप में देय होगी। कार्य की प्रकृति एंव अवधि के आधार पर यदि आवश्यकता पायी जाती है तो उद्यमी एवं निदेशक के मध्य एक अनुबन्ध भी हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

(11) उपर्युक्त निर्धारित अन्तिम मूल्य पर ऑडिट, टी0 एण्ड पी0 सर्विस टैक्स या अन्य टैक्स जो समय-समय पर लागू होंगे, उनका वास्तविक मूल्य अलग डिमाण्ड ड्राफट द्वारा लिया जायेगा।

(12) समस्त प्रतिवेदन शुल्क का अग्रिम भुगतान निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के नाम पर डिमाण्ड ड्राफट द्वारा देय होगा।

(13) सन्दर्भगत शासनादेश संख्या-381/77-5-99-8(204)/95टी0सी0-6, दिनांक 03-02-1999 तथा शासनादेश संख्या-2931-टी0/18-12-90-3(16)/90, दिनांक 30-06-1990 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3. कृपया उपर्युक्तानुसार निर्धारित दरों एवं शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 में स्थापित सुविधाओं को निजी उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1281(1)/86-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0 ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
3- विभागीय वेवसाइट पर अपलोड/पोस्ट किये जाने हेतु।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in